सराहनीय कार्य
इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 30.08.2023

प्रधानाध्यापक का अपहरण कर 50,000/- रुपये की रंगदारी वसूलने वाले गिरोह के 01 अन्य सदस्य को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से अपहरण कर वसूले गये 2950/- रुपये तथा मोबाइल किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व में थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी अवनीश कुमार मधुर पुत्र श्रीराम निवासी निलोई थाना जसवंतनगर जनपद इटावा (प्राथमिक विद्यालय उतरई के प्रधानाध्यापक) द्वारा थाना जसवंतनगर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 22.8.2023 जब वह विद्यालय से ग्राम कुंजपुरा में संकुल मीटिंग हेतु जा रहे थे तो छिमारा रोड के पास कार तथा मोटर साइकिल पर सवार कुछ लोगो ने उसका अपहरण कर गाडी में बैठा लिया तथा उसके परिजनों से 50000/- रुपये की रंगदारी वसूल ली गयी। तहरीर के आधार पर थाना जसवंतनगर पर तत्काल **मु0अ0सं0 214/23 धारा 364/386/511 भादवि** पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 26.08.2023 को थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा प्रधानाध्यापक का अपहरण कर वसूली करने वाला अभियुक्त अंशुल पुत्र रनधीर बाबू को घटना मे प्रयुक्त ईको कार व अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया था शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम निरंतर प्रयासर थी।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम तथा लूट/चोरी एवं फिरौती की घटनाओं अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे दिनांक 29.08.2023 की रात्रि को थाना जसवंतनगर पुलिस थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा प्रधानाध्यापक का अपहरण कर वसूली करने वाले 01 अन्य अभियुक्त को **ग्राम परसौआ को जाने वाले रास्ते से छीने गये मोबाइल सहित समय 22.30 बजे** गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. **रवि खरे पुत्र जगदीश खरे निवासी मोहल्ला कच्चा टूंडला थाना टूंडला जनपद फिरोजाबाद हाल पता मोहल्ला तिलक नगर, खेडा थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद उम्र 38 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. **मु0अ0सं0 214/23 धारा 364/386/511 / 411 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।**

बरामदगीः-

1. 2950/- रुपये (अपहरण कर वसूले गये)
2. 01 मोबाइल (अपहरण कर छीना गया)

पुलिस टीमः- निरीक्षक श्री मुकेश कुमार सोलंकी प्रभारी थाना जसवंतनगर, व0उ0नि0 मनोज कुमार, उ0नि0 हेमन्त सोलंकी, हे0का0 अरविन्द कुमार, का0 अभिषेक ।